



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिनांक 16/10/2023

ई-मेल द्वारा

दिशा-निर्देश सं०:

/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2023

विषय:- विभागीय वाहन के सापेक्ष ली जाने वाली GST-ITC के सम्बन्ध में।

उक्त विषयक इस कार्यालय के दिशा-निर्देश सं० 19/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 16.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से विभाग के कार्मिकों को उपलब्ध कराये गये वाहन के सापेक्ष वसूली जाने वाली राशि पर जी०एस०टी० देयता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था एवं उक्त पर जी०एस०टी० अनुपालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया था।

उक्त विषयक अग्रेतर अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 01.10.2023 से विभागीय वाहन के सापेक्ष वसूली जाने वाली राशि पर जी०एस०टी० की देयता को अग्रिम आदेशों तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

संलग्नक:- यथोपरोक्त।

(नितिन निझावन)

उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा-निर्देश सं०: 29/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2023

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का०प्र० एवं प्रशा० उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. अनुसचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नितिन निझावन)

उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

पत्रांक 19 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

दिनांक / / 2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०। •

जी०एस०टी० अधिनियम के Schedule III के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि (वेतन इत्यादि) जी०एस०टी० से कर मुक्त है किन्तु कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को किसी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि जी०एस०टी० के दायरे में आयेगी।

निगम द्वारा कर्मिकों से निम्नलिखित विभिन्न मदों में राशि वसूली जाती है—

- कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि।
- विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि।
- विद्युत कटौती।
- कर्मचारी द्वारा अनुबंधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि।
- कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि।

उपरोक्त वसूलियों पर जी०एस०टी० की देयता—

- कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि**
चूंकि आवश्यक किराये पर जी०एस०टी० लागू नहीं होता। अतः आवश्यक किराये की वसूली पर जी०एस०टी० की देयता नहीं बनती है।
- विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि**
निगम द्वारा कुछ कर्मिकों को विभागीय वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है एवं इस सुविधा के सापेक्ष कर्मिकों से कुछ राशि वसूली जाती है। इस परिस्थिति में वसूली गयी राशि पर जी०एस०टी० देय होगा। इकाईयों द्वारा जी०एस०टी० अनुपालन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
क) कर्मिकों से वसूली गयी राशि जी०एस०टी० सम्मिलित मान कर उसमें से उल्टी गणना कर जी०एस०टी० निकाला जायेगा एवं जी०एस०टी० जमा कराया जायेगा। इकाई द्वारा प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को Tax Invoice जारी करना होगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित माह के जी०एस०टी० रिटर्न में भी दर्शानी होगी।
ख) सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० निगम को Input Tax Credit के रूप में उपलब्ध होगा जिसका उपयोग उपरोक्त जी०एस०टी० की देयता के सापेक्ष समायोजन हेतु किया जा सकेगा।

उदाहरण हेतु—

❖ सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) से प्राप्त बीजक

Renting of Vehicle Service Value	20,000
+ GST @ 18%	3600
Total	23,600

❖ इकाई द्वारा कर्मिक से वसूली गयी राशि = ₹ 500/-

❖ इकाई द्वारा कर्मिकों को बिन्दु सं० 'क' के अनुसार निम्नलिखित अनुसार Tax Invoice निर्गत करना होगा—

Renting of Vehicle Service Value	423
Vehicle + GST @ 18%	77
Total	500

- ❖ इकाई द्वारा उपरोक्त Tax Invoice निर्गत करने पर ₹ 77/- जी0एस0टी0 की देयता आयेगी। इकाई द्वारा सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) को भुगतान किये गये जी0एस0टी0 (₹ 3600/-) में से देय जी0एस0टी0 (₹ 77/-) का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा एवं इसका समायोजन देय जी0एस0टी0 (₹ 77/-) के सापेक्ष किया जा सकेगा। तदनुसार इकाई द्वारा जी0एस0टी0 जमा करने हेतु कोई अतिरिक्त भार नहीं आयेगा।
- ग) इकाई द्वारा जी0एस0टी0 जमा कराने हेतु जी0एस0टी0 दर एवं HSN Code वही उपयोग किया जायेगा जो सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर अंकित हो। अन्यथा की स्थिति में GST दर 18 प्रतिशत एवं HSN Code 9966 उपयोग किया जायेगा। कार्मिकों से वसूली गयी राशि का Tax Invoice संगत इकाई द्वारा कार्मिकों को निर्गत करना होगा।

घ) इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित नियम निम्नलिखित अनुसार है -

- i. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले इकाईयां मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल के माध्यम से सुनिश्चित करें कि कथित व्यय निगम के GSTR-2A में दिखाई दे रहा है या नहीं। कोई भी व्यय जिसकी सूचना विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा अपने जी0एस0टी0 रिटर्न में दी गयी हो, वहीं निगम के GSTR-2A में दिखाई देगा।
- ii. किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रिय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।
- iii. इकाईयां ये भी सुनिश्चित करें कि जिस टैक्स इनवाइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो उसका भुगतान इनवाइस दिनांक से 180 दिन के भीतर कर दिया जाये, 180 दिन के भीतर भुगतान न होने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित रिवर्स करना होगा। किन्तु भुगतान उपरान्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस क्लेम किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं0 02/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2017-18 दिनांक 25.07.2017 में अंकित इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

3. विद्युत कटौती

चूँकि विद्युत वितरण जी0एस0टी0 मुक्त है, अतः विद्युत कटौती की वसूली पर जी0एस0टी0 देय नहीं होगा।

4. कर्मचारी द्वारा अनुबंधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि

बॉण्ड मनी की प्राप्ति पर जी0एस0टी0 की देयता CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं0 5(e) "Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा मानते हुए बनती है जिसका SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

5. कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि

त्याग पत्र के उपरान्त प्राप्त धनराशि को CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं0 5(e) "Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा माना जायेगा एवं तदनुसार इस धनराशि पर जी0एस0टी0 की देयता बनती है। कथित सेवा का SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

उपरोक्त बिन्दु सं0 4 एवं 5 के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि जी0एस0टी0 एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इसको हमेशा ही सेवा मूल्य (Service Value) के अतिरिक्त ही वसूला जाता है। किन्तु किसी कारणवश यदि जी0एस0टी0 सेवा मूल्य के अतिरिक्त नहीं वसूला गया हो ऐसी परिस्थितियों में वसूली गयी राशि को ही सेवा मूल्य + जी0एस0टी0 मान लिया जायेगा एवं उल्टी गणना करते हुए जी0एस0टी0 की राशि का आंकलन कर सरकार के खाते में जमा कराया जायेगा। अतः कथित प्रकरण में अगर जी0एस0टी0 की राशि कार्मिकों से अतिरिक्त रूप से वसूली जा सकती है तो उसे वसूला जाये अन्यथा प्राप्त धनराशि को ही जी0एस0टी0 सम्मिलित माना जाये। किन्तु भविष्य में होने वाले अनुबन्धों में "Plus Applicable GST" Clause जुड़वा दिया जाये।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा-निर्देश सं०: 19 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

तददिनांक 13 / 03 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक निजी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेश (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० / केस्को / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन / कारपोरेट लेखा) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ / पी०एम०यू०, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(स० के० मुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)